

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.22(1)न्याय/2018

जयपुर, दिनांक 1.10.18

::आज्ञा::

श्रीमती आशा शर्मा, उप विधि परामर्शी, पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रशासनिक आधार पर आदेशों की प्रतीक्षा में विधि विभाग में तुरन्त प्रभाव से उपस्थिति दिये जाने हेतु एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से

—

(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि श्रीमती आशा शर्मा, उप विधि परामर्शी, पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त कर विधि विभाग में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित करें।
3. श्रीमती आशा शर्मा, उप विधि परामर्शी, पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव